

१
॥ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड १॥११॥ में प्रकाशनार्थ ॥

.....

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग

नई दिल्ली, तारीख 24-10-85

अधिसूचना

का० आ० 3157 केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र तारीख 17 सितम्बर, 1983 में प्रकाशित कोयला धारक क्षेत्र ॥ अर्जन और विकास ॥ अधिनियम, 1957 ॥ 1957 का 20 ॥ की धारा 7 की उप-धारा ॥ 1 ॥ के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ॥ कोयला विभाग ॥ की अधिसूचना सं० का० आ० 3566 तारीख 30 अगस्त, 1983 द्वारा, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में, 165.00 एकड़ ॥ लगभग ॥ या 66.77 हेक्टर ॥ लगभग ॥ माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुकरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पर्याप्त सब साधन हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 165.00 एकड़ ॥ लगभग ॥ या 66.77 हेक्टर ॥ लगभग ॥ माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा ॥ 1 ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 165.00 एकड़ ॥ लगभग ॥ या 66.77 हेक्टर ॥ लगभग ॥ माप की भूमि का अर्जन किया जाता है ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त हजारीबाग ॥ बिहार ॥ के कार्यालय या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता या सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ॥ राजस्व अनुभाग ॥ दरभंगा हाउस रांची ॥ बिहार ॥ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

-----/

अनुरूची

लोइयो ब्लॉक विस्तार
पश्चिमी लोइयो कोरला क्षेत्र
जिला हजारी ताग (विहार)

ड्राइंग सं० राजस्व 101/84

तारीख 29-6-1984

जिसमें अर्जित भूमि दर्शित की गई है

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणियां
1.	लोइयो	भांडु	162	हजारीताग	165.00	भाग

कुल क्षेत्र : 165.00 एकड़ लगभग
या 66.77 हेक्टर लगभग

लोइयो ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

1155 भाग, 1156 भाग, 1171 भाग, 1835 भाग, 1836 भाग,
1842 भाग, 1843 भाग, 1844 भाग, 1845 से 1854, 1855 भाग,
1857 भाग, 1858 भाग, 1910 भाग, 1911 भाग, 1912 भाग, 1913 से
1930, 1931 भाग, 1953 भाग, 1956 भाग, 1957 भाग, 1958,
1959 भाग, 1960 भाग, 1972 भाग, 1973 भाग, 1978 भाग, 1979
भाग, 1980 से 1994, 1995 भाग, 1996, 1997, 1998, 1999 भाग,
2000, 2001, 2002 भाग, 2003 भाग, 2013 भाग, 2019 भाग,
2020 भाग, 2021 भाग, 2022 भाग, 2023, 2024, 2025 भाग,
2026 भाग, 2027 भाग, 2028, 2029 भाग, 2030 भाग, 2031 भाग,
2032, 2033, 2034, 2035 भाग, 2036 भाग, 2037 से 2040, 2048
भाग, 2513 भाग, 2514 से 2517, 2520 भाग, 2521, 2522, 2523,

2524॥भाग॥, 2525 से 2538, 2541॥भाग॥, 2542 से 2547, 2548॥भाग॥,
2552॥भाग॥, 2554॥भाग॥, 2555, 2556, 2557, और 320॥भाग॥ ।

सीमा वर्णन :

क-ख-ग-घ

रेखाएं, लोइयो ग्राम में प्लॉट संख्यांक 2048, 1910, 1912,
1913, 1910, 1855, 1857, 1858 प्लॉट संख्यांक 3462-
की पूर्वी और दक्षिणी सीमा से होकर प्लॉट संख्यांक 2524,
2513, 2524, 2520, 2524 और 3201 से होकर जाती है
॥ जो झारखंड कोयला खान के साथ भागतः सम्मिलित सीमा
बनाती है ॥ और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ - ङ.

रेखा लोइयो ग्राम में प्लॉट संख्यांक 3201, 2524, 2541
और 2524 से होकर जाती है ॥ जो लोइयो कोयला खान
सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है ॥ और बिन्दु "ङ."
पर मिलती है ।

ङ.-च-छ-ज.

रेखाएं लोइयो ग्राम के प्लॉट संख्यांक 2524, प्लॉट संख्यांक
2543 की पूर्वी सीमा से होकर प्लॉट संख्यांक 2548, 2524,
2552, 2524, 2554, 2524, 1842, 1843, 1844, 1836,
1835, 1910, 1931, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960,
1972, 1973, 1978, 1979, 1978, 2003, 2002, 1999,
1995, 2013, 1995, 2021, 2022, 2021, 2025, 2026,
2027, 2020, 2019, 2029, 2031 और 2030 से होकर
जाती है ॥ जो कोयला अधिनियम की धारा 9॥1॥ के अधीन
अर्जित लोइयो ब्लॉक के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है ॥
और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज - झ

रेखा लोइयो ग्राम में प्लॉट संख्यांक 2030, 2031, 1171,
2035, 2036, 1156 और 1155 से होकर जाती है और
बिन्दु "झ" पर मिलती है ।

झ - ऋ

रेखा लोइयो ग्राम में प्लॉट संख्यांक 2041॥छुट्टा नदी॥ की
दक्षिणी सीमा के साथ साध जाती है और आरम्भिक बिन्दु
"क" पर मिलती है ।

टी.सी.ए. श्रीनिवासन॥

निदेशक

सं० 43019/23/84-सी.ए.

सेवा में

सहायक प्रबंधक (तकनीकी),

भारत सरकार गृहणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली।

Musdog - 4/18 40) 10 2082
 Mehul - 4/18 40) 2081
 Sargis - 4/18 40) 2087
 Dada

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1981/श्रावण 10, 1903

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1981/SRAVANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल संकलन के रूप में रखा जा सके
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक
 प्रावेष और अधिसूचनाएं

**Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
 (other than the Ministry of Defence)**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1981

आयकर

का०भा० 2040.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दी इन्स्टिट्यूट आफ फ्रान्सिस्कन मिशनरीज आफ मैरी सोसाइटी टिरुचिरापल्ली" अन्तर्गत आने वाली प्रवधि को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आनेवाली प्रवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3975/का०सं० 197/116/80-आ०क०(ए1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th May, 1981

INCOME-TAX

S.O. 2040.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Institute of Franciscan Missionaries of Mary Society, Tiruchirapalli" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3975/F. No. 197/116/80-IT(A1)]

471 G/81-1

(2417)

का०भा० 2041.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री मारिदममावरी मन्दिर, पेद्दपुरम" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3976/का०सं० 197/120/80-आ०क०(ए1)]

S.O. 2041.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Maridammavari Temple, Peddapuram" for the purpose of the said section for and from the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 3976/F. No. 197/120/80-IT(A1)]

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

का०भा० 2042.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "नरोत्तम लालभाई न्यास, प्रहमदावाद" को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आनेवाली प्रवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3980/का०सं० 197/170/80-आ०क०(ए1)]

New Delhi, the 29th May, 1981

S.O. 2042.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Narotam Lalbhai Trust, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3980/F. No. 197/170/80-IT(AI)]

क्र.भा. 2043.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री सुब्रह्मण्य सामाज, मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3982/क्र.सं. 197/130/80-क्र.कं. (ए1)]

S.O. 2043.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Subramania Samaj, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3982/F. No. 197/130/80-IT(AI)]

क्र.भा. 2044.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कस्तूरभाई लालभाई पूर्वन्यास, महमदाबाद" को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3983/क्र.सं. 197/181/80-क्र.कं. (ए1)]

S.O. 2044.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kasturbhai Lalbhai Charity Trust, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3983/F. No. 197/181/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 6 जून, 1981

क्र.भा. 2045.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री पद्मना स्वामी मन्दिर, त्रिवेन्द्रम" को निर्धारण वर्ष 1966-67 से, 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 4011/क्र.सं. 197/38/78-क्र.कं. (ए1)]

के.के. पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 1981

S.O. 2045.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Padmanabhaswamy Temple, Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1966-67 to 1981-82.

[No. 4011/F. No. 197/38/78-IT(AI)]

K. K. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 1981

भायकर

क्र.भा. 2046.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 7 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 3526 (क्र.सं. 398/1/80-क्र.कं.सं.कं.) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री पी. एच. वासवा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री पी. एच. वासवा द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 4054/क्र.सं. 398/21/81-क्र.कं.सं.कं.]

New Delhi, the 29th June, 1981

INCOME-TAX

S.O. 2046.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3526 (F. No. 398/1/80-ITCC) dated 7-7-1980, the Central Government hereby authorises Shri P. H. Vasava, being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri P. H. Vasava takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4054/F. No. 398/21/81-ITCC]

क्र.भा. 2047.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 25 जुलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या 2949 (क्र.सं. 404/141/(क्र.व.सं.-राजकोट)/79-क्र.कं.सं.कं.) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एम. जे. मकवाना को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एम. जे. मकवाना द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 4056/क्र.सं. 398/21/81-क्र.कं.सं.कं.]

S.O. 2047.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2949 (F. No. 404/141/(TRO-Rajkot)/79-ITCC) dated 25-7-1979, the Central Government hereby authorises Shri M. J. Makwana, being a gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri M. J. Makwana takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4056/F. No. 398/21/81-ITCC]